न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– **06/2025** **GCMS NO. 2025/572**

1. भवर कंवर पत्नी स्व. राधेश्याम
2. भवानी सिंह पुत्र स्व. राधेश्याम
3. मंजू पंवार पुत्री स्व. राधेश्याम
4. सुनिता कंवर पुत्री स्व. राधेश्याम
5. सुरेन्द्र सिंह महलावत स्व. राधेश्याम

समस्त जाति राजपूत निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज

..................अपीलान्टस्

– बनाम –

ग्राम पंचायत बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.08.2025 ग्राम पंचायत बिलवा द्वारा खारिज करने नामान्तकरण सं. 1324 दिनांक 05.08.2025

वकील अपीलान्टस् – श्री जयप्रकाश सैनी

–: **निर्णय** :– **दिनांक :– 10.12.2025**

उपर्युक्त उनवानी अपील अपीलान्टस् की ओर से पेश की गई है कि:–

वाके ग्राम बिलवा पटवार हल्का बिलवा तहसील खेतडी स्थित अंतिम चौसला आधार संवत 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 182 खसरा नं. 722/208 रकबा 0.70 हैक्टर ख. नं. 725/157 रकबा 0.37 हैक्टर, ख. न. 727/159 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.10 हैक्टर का अपीलान्ट सं. 1 का पति व अपीलान्ट सं. 2 लगायत 5 का पिता राधेश्याम पुत्र मांगीलाल एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकाई है। अपीलान्ट सं. 1 के पति व अपीलान्ट सं. 2 लगायत 5 के पिता राधेश्याम पुत्र मांगीलाल का दिनांक 27.01.2024 को स्वर्गवास हो गया है। स्व. राधेश्याम पुत्र मांगीलाल के अपीलान्ट एक मात्र वारिश उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट ने अपने पति/पिता राधेश्याम पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास होने के बाद दिनाक 25.07.2025 को विरासतन नामान्तगरण दर्ज करवाने के लिये पटवार हल्का ग्राम बिलवा के समक्ष शपथपत्र बाबत वारिसनामा, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आदि दस्तावेज पेश किये। जिस पर पटवार हल्का बिलवा ने नामान्तकरण सं. 1324 दिनांक 05.08.2025 दर्ज कर अपनी रिपोर्ट "श्रीमान मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसान के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।" को ग्राम पंचायत बिलवा की ग्राम सभा में पेश किया जिस पर ग्राम पचांयत बिलवा ने दिनांक 27.08.2025 को यह दर्ज करते हुऐ कि मूल दस्तावेज स्पष्ट नहीं है कहते हुऐ नामान्तकरण को खारिज कर दिया।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के उक्त आदेश दिनांक 27.08.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न आधारो पर पेश करता है कि – रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1324 दिनांक 05.08.2025 ग्राम बिलवा को खारिज करने का आदेश दिनांक 27.08.2025 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। सरपंच ग्राम पंचायत बिलवा रेस्पोडेन्ट नं. 1 का आदेश दिनांक 27.08.2025 खिलाफ कानून व विधि विधान होने से निरस्तनीय है। पटवार हल्का बिलवा ने नामान्तकरण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सही पेश की है। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने पटवार हल्का की रिपोर्ट पर कोई गोर नहीं किया । सरपंच ग्राम पंचायत बिलवा ने नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

(3) .... **हस्ताक्षर** (3) ....

...ट नं.: R/423/2006

...नं. : 9414647489

खारिज करने में मूल दस्तावेज स्पष्ट नहीं है बताया है लेकिन यह नहीं बताया कि कोनसा मूल दस्तावेज स्पष्ट नहीं है। जबकि अपीलान्ट ने अपने समस्त दस्तावेज स्पष्ट पेश किये है जिनको पटवार हल्का ने सही मानकर नामान्तकरण सं. 1324 दिनांक 05.08.2025 दर्ज किया है लेकिन रेस्पेडेन्ट ने बिना किसी उचित कारण के नामान्तरकरण खारिज करने की कानूनी भूल की है। इसलिये ग्राम पंचायत बिलवा रेस्पोडेन्ट सं. 1 का आदेश दिनांक 27.08.2025 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस द्वारा अपने समस्त दस्तावेज सही व स्पष्ट पेश करने के बावजूद भी सरंपच ग्राम पंचायत बिलवा ने राजनैतिक द्वैषता के कारण अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को स्पष्ट नहीं होना बताकर नामान्तरण सं. 1324 दिनांक 05.08.2025 को दिनांक 27.08.2025 को खारिज कर दिया । नामान्तकरण सं. 1324 दिनांक 05.08.2025 ग्राम बिलवा को खारिज करने की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.09.2025 को जब अपीलान्ट पटवार हल्का के पास इन्तकाल की जानकारी करने के लिये गया तब पटवार हल्का द्वारा बताने पर हुई इस पर अपीलान्ट ने दिनाक 09.09.2025 को ऑन लाईन नामांतरकरण की नकल ली तब अपीलान्ट को सम्पूर्ण जानकारी हुई। इससे पहले अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण खारिज करने की कोई जानकारी नहीं थी।

अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बिलवा द्वारा नामान्तकरण सं. 1324 दिनांक 05.08.2025 को खारिज करने का आदेश दिनांक 27.08.2025 को निरस्त किये जाने का आदेश देने की कृपा करे ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट की तलबी जारी की गई। बावजूद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या नया 182 ग्राम बिलवा, नकल नामांतरण निरस्त आदेश, वारिस शपथ पत्र, राधे श्याम सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं समस्त अपिलांटस् के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलांटस् स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बीलवा के नामान्तकरण संख्या 1324 दिनांक 05.08.2025 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खेतडी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार साक्ष्य, सुनवाई की जाकर विधिसम्वत् नामान्तकरण की पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक **10–12–2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं